



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 811]

नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 29, 2017/आश्विन 7, 1939

No. 811]

NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 29, 2017/ASVINA 7, 1939

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केंद्रीय उत्पाद और सीमाशुल्क बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 सितम्बर, 2017

सं. 36/2017-केंद्रीय कर

सा.का.नि. 1214(अ).—केंद्रीय सरकार, केंद्रीय माल और सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 164 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय माल और सेवाकर नियम, 2017 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. इन नियमों का संक्षिप्त नाम केंद्रीय माल और सेवाकर (आठवां संशोधन) नियम, 2017 है।
2. केंद्रीय माल और सेवाकर नियम, 2017 में,—

(i) नियम 24 में, उपनियम (4) में, “30 सितंबर” अंकों और शब्द के स्थान पर, “31 अक्तूबर” अंक और शब्द रखे जाएंगे ;

(ii) नियम 118 में, “नियत दिन के नब्बे दिन की अवधि” शब्दों के स्थान पर, “नियम 117 में विनिर्दिष्ट अवधि या ऐसी और अवधि, जो आयुक्त द्वारा विस्तारित की जाए” शब्द रखे जाएंगे ;

(iii) नियम 119 में, “नियत दिन के नब्बे दिन” शब्दों के स्थान पर, “नियम 117 में विनिर्दिष्ट अवधि या ऐसी और अवधि, जो आयुक्त द्वारा विस्तारित की जाए” शब्द रखे जाएंगे ;

(iv) नियम 120 में, “नियत दिन के नब्बे दिन” शब्दों के स्थान पर, “नियम 117 में विनिर्दिष्ट अवधि या ऐसी और अवधि, जो आयुक्त द्वारा विस्तारित की जाए” शब्द रखे जाएंगे ;

(v) नियम 120क में, “प्ररूप जीएसटी टीआरएन-1 में घोषणा का पुनरीक्षण” पार्श्व शीर्ष अंतःस्थापित किया जाएगा ;

(vi) प्ररूप जीएसटी आरईजी-29 में,—

(क) “अनंतिम रजिस्ट्रीकरण के रद्दकरण के लिए आवेदन” शीर्ष के स्थान पर “प्रवासी करदाताओं के अनंतिम रजिस्ट्रीकरण को रद्द करने के लिए आवेदन” शीर्ष रखा जाएगा ;

(ख) उपशीर्ष भाग-क के अधीन मद (i) के सामने “अनंतिम आई डी” शब्द और अक्षर के स्थान पर, “जीएसटीआईएन” अक्षर रखे जाएंगे ।

[फा. सं. 349/58/2017-जीएसटी(पीटी.)]

डॉ. श्रीपार्वती एस.एल., अवर सचिव

टिप्पण : मूल नियम, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में अधिसूचना सं. 3/2017-केंद्रीय कर, तारीख 19 जून, 2017 द्वारा सा.का.नि. सं. 610(अ) तारीख 19 जून, 2017 के माध्यम से प्रकाशित किए गए थे और उनका अंतिम संशोधन अधिसूचना सं. 34/2017-केंद्रीय कर तारीख 15 सितंबर, 2017, जो सा.का.नि. सं. 1165(अ) तारीख 15 सितंबर, 2017 द्वारा प्रकाशित की गई थी, द्वारा किया गया ।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(CENTRAL BOARD OF EXCISE AND CUSTOMS)

NOTIFICATION

New Delhi, the 29th September, 2017

No. 36/2017 – Central Tax

G.S.R. 1214(E).—In exercise of the powers conferred by section 164 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Central Goods and Services Tax Rules, 2017, namely:-

1. These rules may be called the Central Goods and Services Tax (Eighth Amendment) Rules, 2017.
2. In the Central Goods and Services Tax Rules, 2017, –
 - (i) in rule 24, in sub-rule (4), for the figures, letters and word, “30th September”, the figures, letters and word “31st October” shall be substituted;
 - (ii) in rule 118, for the words “a period of ninety days of the appointed day”, the words and figures “the period specified in rule 117 or such further period as extended by the Commissioner” shall be substituted;
 - (iii) in rule 119, for the words “ninety days of the appointed day”, the words and figures “the period specified in rule 117 or such further period as extended by the Commissioner” shall be substituted;
 - (iv) in rule 120, for the words “ninety days of the appointed day”, the words and figures “the period specified in rule 117 or such further period as extended by the Commissioner” shall be substituted;
 - (v) in rule 120A, the marginal heading “**Revision of declaration in FORM GST TRAN-1**” shall be inserted;
 - (vi) in **FORM GST REG-29**, -
 - (a) for the heading, “**APPLICATION FOR CANCELATION OF PROVISIONAL REGISTRATION**”, the heading, “**APPLICATION FOR CANCELATION OF REGISTRATION OF MIGRATED TAXPAYERS**” shall be substituted;

- (b) under sub-heading PART-A, against item (i), for the word and letters “Provisional ID”, the letters “GSTIN” shall be substituted.

[F. No. 349/58/2017-GST(Pt.)]

Dr. SREEPARVATHY S. L., Under Secy.

Note : The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) vide notification No. 3/2017-Central Tax, dated the 19th June, 2017, published vide number G.S.R 610(E), dated the 19th June, 2017 and last amended vide notification No. 34/2017-Central Tax, dated the 15th September, 2017, published vide number G.S.R 1165(E), dated the 15th September, 2017.